

NAME OF WORK: **EXTERNAL ELECTRIFICATION OF BHOOMI VIKAS EVAM**
GRIHSTHAN YOUNA NO 3 JHANSI



POPULATION CHART

S.NO.	PLOT AREA	TOTAL NOS. OF PLOTS	UNIT	TOTAL UNIT	POPULATION
1	40.00	162	4	648	810
2	60.00	59	2	118	590
3	75.00	110	2	220	1100
4	75.00	130	2	260	1300
5	186.00	26	4	104	520
6	315.50	56	4	224	1120
7	315.50	56	4	224	1120
TOTAL	1077.50	230	230	920	4600

AREA CALCULATION

ITEMS	AREA	PERCENTAGE	TOTAL
ROADS	1000.00	100.00%	1000.00
PLOTS	1077.50	107.75%	2077.50
OPEN SPACES	1000.00	100.00%	1000.00
TOTAL	3077.50	307.75%	3077.50

DATE: 08.08.2019
 SCALE: 10 0 20 40.0 M.
KARAN KUMAR
 ARCHITECT
PRINCESH KUMAR RUPAK
 ARCHITECT
RAJY CHAUHAN
 ARCHITECT

INDEX

S.N.	PARTICULARS
1	11 Mtr. Long 3x3 410x1.5 Pole
2	8.5 Mtr. Long PCC Pole
3	H.T. Wire with 3x3 ACB Dog Conductor
4	L.T. sub-station 400 VVA 7/7 800 A CB
5	Complete
6	L.T. Cable 240 SQMM 3 Core
7	H.T. Cable XLPE 300 SQMM 3 Core
8	H.T. Cable XLPE 120 SQMM 3 Core

LOA
 Based on U.P. Electricity Act

S.N.	Particular	Plot Area (In Sqm)	Unit In Nos
1	Plot	40	162
2	Plot	60	59
3	Plot	75	110
4	Plot	75	130
5	Plot	186	26
6	Plot	315.50	56
7	Plot	315.50	56
TOTAL		1077.50	230

U.P.A.V.P. - KANPUR
 EL. DIV-3
 APPROVED BY
 J.E. A.E. E.E.
 J.E. M.B. S.V.N.L. JHANSI



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(अभियंत्रण अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
email:seproject@upavp.in

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



संख्या 2329

ए-6/ई0एल0ई0/324

दिनांक 23-07-2021

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वृत्त, लखनऊ के पत्रांक-495/एम-7/122 दिनांक 22.07.2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर एतद्वारा तकनीकी स्वीकृति निम्नवत् निर्गत की जाती है:-

1- कार्य का विवरण	जनपद झांसी में नवविकसित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना स0-03 में वाह्य विद्युतीकरण का कार्य(ओवर हेड प्रणाली के माध्यम से)।	
2- आई0डी0कोड नं0	089031	
3- अ-प्रशासनिक स्वीकृति का संदर्भ	अभियंत्रण अनुभाग के कार्यालय आदेश सं0-2238/ए-6/ई0एल0ई0/324 दिनांक 15.07.2021	
ब-कार्य की लागत	रु0 475.18 लाख	क्रमांक 466
4- तकनीकी स्वीकृति की लागत	रु0 475.18 लाख	फाइल 6-15
5- लेखा शीर्षक संख्या	274/11/2021-22	रजिस्टर सं0 7
		दिनांक 27.7.20

प्रतिबन्ध

- 1- कार्यों के सम्पादन हेतु नियमानुसार इं-निविदा आमंत्रित की जाये।
- 2- कार्यों का सम्पादन सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित विशिष्टियों के अनुसार कराया जाये। विशेष परिस्थितियों में यदि विशिष्टियों/प्राविधानों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
- 3- परिषद में अनुमोदित ब्राण्ड की सामग्री ही प्रयोग की जाये। परिषद में किसी सामग्री का अनुमोदित ब्राण्ड न होने पर न्यूनतम तीन छयाति प्राप्त निर्माताओं की सामग्री का उल्लेख निविदा में किया जाये।
- 4- विस्तृत प्राक्कलन में ली गई विभिन्न दरों एवं मात्राओं के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- 5- तकनीकी स्वीकृति से अधिक धनराशि किसी भी दशा में व्यय न की जाये।
- 6- कार्य निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रतिबन्ध के अनुसार कराया जाये।
- 7- विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी दरों का आधार न माना जाये। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाये।
- 8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की जी0टी0पी0 विद्युत विभाग के सामग्री प्रबन्धन अनुभाग से अनुमोदन/निरीक्षण के उपरान्त प्रयोग सुनिश्चित करेंगे।

(एस0सी0राय)
मुख्य अभियन्ता

दिनांक 23-07-2021

पत्रांक- 2329 / ए-6/ई0एल0ई0/324

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता(प्रो0)/वरिष्ठ स्टाफ आफिसर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 4- अधिशासी अभियन्ता(मु0)/ विद्युत खण्ड-तृतीय, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/कानपुर।

मुख्य अभियन्ता